न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2018/00402 (282/2018)

सोमप्रकाश उर्फ औमप्रकाश पुत्र मोटगिर जाति गुसाई निवासी खैरका तहसील सिरसा निवासी बाच्छूसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। –अपीलान्ट

बनाम

1. प्रमेश्वरी पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. दौलतराम वल्द श्योकरण जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. रामपाल } पि0 उदगिर जाति गुसाई निवासी बच्छुसर तहसील नोहर।
4. रामनिवास }
5. कमा पत्नी जगदीश पुत्र उदगिर जाति गुसाई निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
6. दयाराम } पि0 जगदीश पुत्र उदगिर जाति गुसाई निवासी बाच्छुसर
7. विकास } तहसील नोहर।
8. लक्ष्मणगिर } पि0 ईसरगिर जाति गुसाई निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
9. खिराज गिर }
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
11. मैनेजर हनुमानगढ सहकारी भूमि विकास बेंक लिमिटेड शाखा नोहर

–असल रेस्पोडेण्ट

12. भजनलाल } पि0 मोटगर जाति गुसाई निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
13. कृष्ण लाल }

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2018

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्र0 संख्या 330/2016 बअनवान प्रमेश्वरी बनाम दौलतराम आदि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1, 2

श्री महेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3, 5, 8 व 9

निर्णय दिनांक – 12.01.23

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत एक अर्जीदावा पेश किया। अर्जीदावा में कथन कियाकि रोही मोजा बाच्छूसर तहसील नोहर के खाता सं0 28/20 की कुल 42 बीघा भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण की मुश्तर्का खातेदार कातश्कार है। जिसमें वे अपने हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने प्रश्नगत भूमि का खाता अलग अलग कायम किये जाने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वादीया का वाद स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
2. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 2 व 10 व 3 ता 7 के मौरूसान उदगिर ने खाता विभाजन व घोषणा कतई गलत तौर से करवाई है, जबकि अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पो0 सं0 13 व 14 ने दिनांक 05.03.1973 को रोही मौजा बाच्छुसर तहसील नोहर के ख. नं. 17 की 30 बीघा 4 बिस्वा भूमि भनीगिर वल्द गुटगिर कौर गुसाई साकिन बाच्छुसर से कीमतन खरीद की थी एवं खरीद के वक्त से लेकर अपीलाण्ट व तरतीबी रस्पो0 सं0 13 व 14 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा कतई गलत तौर से रेस्पो0 के नाम से दर्ज करवाई गई है। बैयनामा दिनांक 05.03.1973 धारा 5 सम्पति अन्तरण अधिनियम के अनुसार रजि0 बैयनामा के विधिवत व प्रभावशील रहते अपीलाण्ट को प्रश्नगत भूमि से वंचित नही किया जा सकता है। गुटगिर पूर्णगिर वल्द पदमगिर का पुत्र था तथा गुटगिर को उक्त भूमि बाहमी बंटवारा में अकेले को मिली थी तथा जब 1973 में भूमि बेचान की गई तब ईश्वरगिर पुत्र खिराजगिर ने उक्त भूमि बेचान के समय अपनी सहमति दी थी तथा भानीगिर वल्द गिुटगिर ने उक्त बैयनामा में यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

स्पष्ट किया था कि रोही मौजा बाच्छुसर के ख. नं. 17 की 30 बीघा 4 बिस्वा भूमि उसको बाहमी बंटवारा में मिली है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की तामील विधिवत नहीं करवाई गई है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं हो सका। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2004 आरएलडब्ल्यू पेज 278 एससी, 2004 आरएलडब्ल्यू पेज 280, एससी, 2012 आरएलडब्ल्यू पेज 583,, 2010 आरएलडब्ल्यू पेज 1059, 2004 आरआरडी पेज 167, 2010 सीसीसी पेज 374, 2011 (1) पेज 366, 2017 आरएलडब्लयू पेज 1103 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया प्रश्नगत भूमि उनकी मुस्तर्का खतो की भूमि है। भूमि संयुक्त खाता में दर्ज थी। रेस्पोडेण्ट अपने हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में करवाया है जो विधि सम्मत हैं अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट को विधि सम्मत तरीके से तामील करवाई गई है। इनके उपस्थित नहीं आने पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान था। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। मियाद बाहर अपील पेश करने ाक समुचित कारण नही बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने रोही मौजा बाच्छुसर के खाता सं0 28/20 की कुल 42.09 बीघा भूमि का खाता विभाजन का वाद पेश किया था, जो विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा डिक्री किया है। अपीलाण्ट की अपील का मुख्य आधार यह है कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 13 व 14 ने दिनांक 05.03.1973 को रोही मौजा बाच्छुसर तहसील नोहर के ख. नं. 17 की 30 बीघा 4 बिस्वा भूमि भानीगिर वल्द गुटगिर कौम गुसाई से कीमतन खरीद की है एवं खरीद

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के वक्त से ही प्रश्नगत भूमि पर उनका कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट को विधि सम्मत तरीके से तामील करवाई गई है। इनके उपस्थित नहीं आने पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2018 को पारित किया जिसकी अपीलाण्ट अपीलाण्ट ने 182 दिन बाद पेश की है जो अन्दर मियाद नही है। इतने लम्बे समय पश्चात् अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नही बताया है। दरख्वास्त में छूट पाने हेतु प्रत्येक दिन का हिसाब देकर उचित कारण बताते हए तथ्य दर्ज करने चाहिये थे। मियाद में छूट के कोई उचित कारण नही बताये तथा ऐसा कोई कारण बताया जिसके कारण उनको ज्ञान हुआ हो अथवा और देरीना माफ करा पाने के अधिकारी हों। अधीनस्थ न्यायालय में वाद केवल खाता विभाजन का है जिसमें तहसीलदार की रिपोर्ट के आने के बाद विधि अनुसार जांच कर अन्तिम डिक्री पारित की गई है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का खारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारा अपील भी खारिज किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/23

(करतारसिंह पूनियॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़